झारखंड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
नेपालहाउस, राँची, झारखंड–834001

आदेश

सं0सं0:– 22/निदे0/औषधि/Tobacco-23/2013–393(D) राँची, दिनांक:–07/03/2019.

इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ई0एन0डी0एस0) वैसे यंत्र हैं जो एक तरल को गर्म कर वायु–विलय (एयरोसोल) बनाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रोपाईलीन ग्लाइकौल या ग्लिसरीन या दोनों होते हैं और इस तरल में वासक तत्व होते हैं। इस तरल का मुख्य घटक प्रोपाईलीन ग्लाइकौल, ग्लिसरॉल के साथ या उसके बिना और वासक तत्वों के साथ निकोटीन भी होता है। सबसे सामान्य आदि प्ररूप, E-Cigarettes में तम्बाकू के पत्तों को जलाया या इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अपितु तरल पदार्थ को वाष्पित कर कश खींचा जाता है। यह निकोटीन पर निर्भरता, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव, हृदय रोगों, मानसिक समस्याओं एवं कई अन्य विकारों के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ ईएनडीएस के वायु–विलय मे सीसा, कोमियम, निकेल जैसे धातु और फार्मल्डिहाईड जैसे रसायन परंपरागत सिगरेट के बराबर या उससे अधिक मात्रा में पाए गए हैं। यह साक्ष्य बच्चों, किशोरों और महिलाओं (चाहे गर्भवती हो या नहीं) को E-Cigarettes के इस्तेमाल से रोकने के लिए पर्याप्त हैं।

और जबकि, ऐसी आशंका है कि बच्चे, कि किशोर और युवा (आमतौर पर धूम्रपान न करनेवाले भी) E-Cigarettes के माध्यम से निकोटीन का इस्तेमाल आरंभ कर सकते हैं, इसलिए जनहित में सम्यक समीक्षोपरांत ई0एन0डी0एस0 जिसे ई–सिगरेट के रूप में भी जाना जाता है या जिस किसी भी नाम से जाना जाता है के घटकों के निर्माण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), वितरण, व्यापार, प्रदर्शन, विपणन, विज्ञापन, उपयोग और आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी
सरकार के सचिव

सं0सं0:– 22/निदे0/औषधि/Tobacco-23/2013–393(D) राँची, दिनांक:–07/03/2019
प्रतिलिपि:–माननीय स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के आप्त सचिव/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ प्रेषित।

डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी
सरकार के सचिव

सं0सं0:– 22/निदे0/औषधि/Tobacco-23/2013–393(D) राँची, दिनांक:–07/03/2019
प्रतिलिपि:–निदेशक (औषधि), राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय/ राज्य नोडल पदाधिकारी, एन0सी0डी0 सेल/ सभी उपायुक्त, झारखंड/ सभी सिविल सर्जन, झारखंड/ सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी
सरकार के सचिव